



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:19963

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

आदेश से प्रथम अपील संख्या- 64/2020

भारत संघ, प्रबन्धक उत्तर प्रदेश, रेलवे, नई दिल्ली

..... अपीलार्थी(गण)

बनाम

श्रीमती सुशीला देवी एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

:- मनेन्द्र नाथ राय, राज कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- कृष्णा कुमार सिंह, अंशु सिंह

न्यायालय संख्या. - 20

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह, साथ ही प्रतिवादी/दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंह को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत अपील, रेलवे दावा न्यायाधिकरण, लखनऊ पीठ, लखनऊ (इसके पश्चात् 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा वाद संख्या OA/II/U/937/12 (श्रीमती सुशीला देवी एवं अन्य बनाम भारत संघ) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.12.2019 के विरुद्ध रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 23 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

द्वारा दावेदारों-प्रतिवादियों के पक्ष में ब्याज सहित 8,00,000/- रुपये का प्रतिकर अधिनिर्णित किया गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 31.07.2012/01.08.2012 को एक प्रेम कुमार लखनऊ से बालामऊ तक पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, अत्यधिक भीड़ और अचानक लगे झटके के कारण, वह ट्रेन से नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात्, मृतक के परिवार के सदस्यों ने न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर की। न्यायाधिकरण ने पाया कि मृतक एक वैध यात्री था क्योंकि उसके पास वैध टिकट था। इस प्रकार घटित दुर्घटना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124-क सह पठित धारा 123(ग)(2) के दायरे में आती है और तदनुसार आक्षेपित आदेश के माध्यम से 8,00,000/- रुपये का प्रतिकर प्रदान किया गया है। इसी आदेश को वर्तमान अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह का कथन है कि मृतक विकलांग व्यक्ति था, तथापि, उसके पास से सामान्य श्रेणी का टिकट बरामद हुआ। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि यदि मृतक विकलांग व्यक्ति था, तो उसके द्वारा सामान्य श्रेणी का टिकट खरीदने का कोई कारण नहीं था, जिसका मूल्य हमेशा विकलांग टिकट की तुलना में अधिक होता है, अतः यह संदिग्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्शाती है कि शव दो हिस्सों में पाया गया था, जोकि उनके अनुसार, केवल ट्रेन से गिरने के परिणामस्वरूप नहीं हो सकता।

5. इसके विपरीत, प्रतिवादी/दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंह का यह कथन है कि शव के दो टुकड़ों में होने का मुद्दा न्यायाधिकरण के समक्ष कभी भी नहीं उठाया गया था। उनका आगे यह तर्क है कि मृतक एक सद्भावी यात्री था क्योंकि उसके पास वैध टिकट

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

था। उसने लखनऊ से ट्रेन पकड़ी थी और कथित दुर्घटना आलम नगर रेलवे स्टेशन के पास घटित हुई थी।

6. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह कथन है कि एक वैध टिकट बरामद किया गया है और यदि एक वैध टिकट बरामद नहीं भी हुआ होता, तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **भारत संघ बनाम रीना देवी**, [2019 (3) SCC 572] में प्रतिपादित विधिक व्यवस्था के अनुसार, यह माना जा सकता है कि टिकट घटना के दौरान कहीं खो गया होगा।

7. जहाँ तक शव के क्षत-विक्षत होने के संबंध में दूसरे तर्क का प्रश्न है, प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उनके द्वारा उद्धृत निर्णय के बहुत बाद पारित नवीनतम निर्णय को न्यायालय के संज्ञान में न लाने का विकल्प चुना। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि इस न्यायालय ने **आदेश से प्रथम अपील संख्या 296/2003 (श्रीमती मंजू यादव बनाम भारत संघ)**, जो दिनांक 22.09.2021 को निर्णीत हुई, में स्पष्ट रूप से निम्नानुसार धारित किया है:-

“जैसा कि उपरोक्त प्रकरण दिल्ली एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णयों में धारित किया गया है, इस न्यायालय की खंडपीठों ने कोई ऐसा विशिष्ट निष्कर्ष अभिलेखित नहीं किया एवं न ही ऐसी कोई विशिष्ट विधि प्रतिपादित की है कि ट्रेन से गिरने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु सिर कटने से नहीं हो सकती। यह तथ्य कि शरीर के दो हिस्सों में कट जाने पर ट्रेन से गिरने से मृत्यु नहीं हो सकती, न तो विधि में और न ही विशेषज्ञ चिकित्सक राय के आधार पर ही निर्णायक रूप से इसे स्थापित किया गया है। इस तरह का निष्कर्ष केवल एक धारणा के आधार पर दर्ज किया गया है कि ट्रेन से गिरने पर शरीर का दो हिस्सों में कटना संभावित नहीं है। हालांकि, यह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय दिल्ली और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों से सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त करता है कि बिना किसी प्रासंगिक चिकित्सा सलाह या राय के ऐसा कोई कठोर नियम स्थापित नहीं किया जा सकता है।"

8. उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा '**कमुकई एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य**', [2023 (19) SCC 116] में दिये गए एक निर्णय पर विश्वास जताया है, जिसमें यह धारित किया गया था कि यदि मृतक के पास वैध टिकट है, तो ऐसी स्थिति में उसे असत्य सिद्ध करने का भार रेलवे पर स्थानांतरित हो जाता है।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

10. जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के प्रथम तर्क का प्रश्न है, यदि कोई विकलांग व्यक्ति सामान्य श्रेणी का टिकट खरीदता है, तो इसे उसके विरुद्ध नहीं माना जा सकता। न्यायाधिकरण को केवल यह देखना होता है कि उसके पास वैध टिकट था या नहीं और इस मामले में मृतक के पास वैध टिकट उपलब्ध था। अतः, इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता कि वह एक सद्भावी यात्री था।

11. जहाँ तक इस दूसरे तर्क का प्रश्न है कि दुर्घटना पर केवल इसलिए संदेह किया जाए क्योंकि शव क्षत-विक्षत हो गया था और पटरियों के बीच पाया गया था, इस मुद्दे पर कि क्या पटरियों के बीच शव मिलने की स्थिति में यह आत्महत्या हो सकती है या कोई दुर्घटना, जो रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123(ग) के अंतर्गत घटित हुई हो, विभिन्न उच्च न्यायालय पहले ही इस विषय पर गहन विचार कर चुके हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने **श्री प्रेम पाल सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ**, जो आदेश से प्रथम अपील संख्या 21/2014 में दिनांक

24.04.2018 को पारित हुआ है, जिसमें निम्नानुसार धारित किया गया है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"7. आक्षेपित आदेश में दिया गया यह तर्क कि चूंकि मृतक का शरीर दो हिस्सों में कट गया था: एक हिस्सा रेलवे पटरियों के अंदर पाया गया और दूसरा बाहर, इसलिए चलती ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने के कारण मृत्यु नहीं हो सकती थी, त्रुटिपूर्ण है। चलती ट्रेन से गिरने के पश्चात किसी यात्री के इस प्रकार कुचले जाने की असंभवता विधि में निर्णायक रूप से स्थापित नहीं हुई है, जिससे कि मुआवजे के ऐसे सभी दावों को खारिज किया जा सके। यह संभव है कि मृतक, भीड़भाड़ वाले यात्री डिब्बे के दरवाजे के पास खड़ा था और दरवाजे की रेलिंग पकड़ते हुए नीचे फिसल गया हो, और उसने व्याकुलता में वापस संभलने और ट्रेन पर चढ़ने का पुरजोर प्रयास किया हो-जिसमें उसके पैर हिंसक रूप से लड़खड़ा रहे हों, और उस वीरतापूर्ण एवं हिंसक उथल-पुथल में उसके पैर या उसका शरीर दुर्भाग्य से ट्रेन के पहियों के नीचे आ गया हो, जिससे वह इस घातक दुर्घटना का ग्रास बन गया। जब तक ऐसी संभावना मौजूद है, तकनीकी धारणाओं के आधार पर दावे को बाहर या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोई दैवीय कैमरा उपलब्ध नहीं है जो मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को फिर से दिखा सके, किन्तु सभी कारक इसी अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि एक सद्भावी यात्री की मृत्यु एक अनपेक्षित ट्रेन दुर्घटना में हुई थी। ऐसा कोई कारण भी नहीं है कि मृतक अपने गंतव्य - अपने घर के रास्ते में किसी विषम स्थान पर रेलवे पटरियों पर चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वह दुर्घटना स्थल के पास रहता था या दुर्घटना स्थल के पास उसका कोई नियमित व्यवसाय था। इस प्रकार, यह निष्कर्ष कि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पटरियों को पार करते समय उसकी मृत्यु हुई, अनुचित और असमर्थनीय है।"

12. यही समान प्रेक्षण दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा **श्रीमती राम प्यारी बनाम भारत संघ**, आदेश से प्रथम अपील संख्या 142/2012, जो दिनांक 31.03.2014 को निर्णीत हुई, के मामले में भी किए गए हैं।

13. इसके अतिरिक्त, समान विधिक व्यवस्था कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा **सुचित्रा आस (एश) बनाम भारत संघ, एफ.एम.ए. संख्या 384/2015** के मामले में भी प्रतिपादित की गई है, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.04.2013 के माध्यम से निम्नानुसार प्रतिपादित किया है:-

"चाहे कोई व्यक्ति चलती ट्रेन के आगे लेटकर या अपना शरीर रखकर आत्महत्या करे, या पटरियों को लापरवाही से पार करते समय किसी व्यक्ति का शरीर चलती ट्रेन के सामने आ जाए, इसे किसी विशेष मामले में शामिल तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ उपस्थित अन्य परिस्थितियों, यदि कोई हों, से आसानी से सुनिश्चित किया जा सकता है। मृतक की आशय सर्वोपरि विचारणीय विषय है, जिसे किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ उपस्थित परिस्थितियों से एकत्रित किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा मामला है, जहाँ मृतक पीड़ित को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वाला कोई मानसिक अवसाद नहीं था। यहाँ तक कि पीड़ित ने 01.04.04 से प्रभावी मासिक टिकट भी खरीदा था। मृतक की मृत्यु उसकी वापसी यात्रा के दौरान घटित हुई। घटनास्थल, जहाँ मृतक का शव पाया गया था, उस इलाके से 20 मिनट की पैदल दूरी पर था जहाँ

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मृतक का अपना घर था। अभियोजन साक्षी-2 मृतक पीड़ित के साथ रक्त संबंध रखने वाला व्यक्ति नहीं है। यहाँ एकत्रित तथ्य और परिस्थितियाँ, ऊपर चर्चा की गई उपस्थित परिस्थितियों के साथ मिलकर, आत्महत्या करने के समर्थक आवश्यक इरादे को प्रदर्शित नहीं करती हैं, और न ही यह मामला जानबूझकर या लापरवाही से ट्रेन के नीचे आने का प्रतीत होता है।"

14. वस्तुतः, **मोसम्मत सकीला खातून बनाम भारत संघ (प्रकीर्ण अपील संख्या 87/2011)**, जो दिनांक 08.05.2013 को निर्णीत हुई, के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने, जिसमें मृतक ट्रेन से गिर गया था और उसका शरीर दो हिस्सों में कट गया था, फिर भी यह धारित किया कि यह अनपेक्षित घटना की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भारत संघ बनाम प्रभाकरन विजया कुमार, जो (2008)9 SCC 527** में प्रतिवेदित है, में स्पष्ट रूप से यह धारित किया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यात्री ले जाने वाली ट्रेन से किसी यात्री के दुर्घटनावश गिरने की अभिव्यक्ति की दो व्याख्याएँ दी जा सकती हैं। हालांकि, चूंकि रेलवे अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे का प्रावधान एक लाभकारी विधान है, इसलिए इसकी संकीर्ण या तकनीकी व्याख्या के बजाय एक उदार और व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए। न्यायालय ने आगे यह धारित किया कि ऐसी व्याख्या, जो अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाती है और उसके प्रयोजन को सिद्ध करती है, उसे ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

16. जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा **श्री प्रेम पाल सिंह** (उपरोक्त) एवं **श्रीमती राम प्यारी** (उपरोक्त) के मामलों में और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सुचित्रा (उपरोक्त) के मामले में पारित निर्णयों में धारित किया गया है, इस संभावना को कि क्षत-विक्षत होने के कारण मृत्यु ट्रेन से गिरने से नहीं हो सकती, इसे एक कठोर नियम के रूप में नहीं माना जा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सकता, क्योंकि यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि यात्री किस स्थिति एवं किस कोण से ट्रेन से नीचे गिरा। इसके अतिरिक्त, ट्रेन की गति भी एक प्रासंगिक कारक है क्योंकि कई बार ट्रेन द्वारा निर्मित पवन सुरंग शरीर को अंदर की ओर खींच लेती है।

17. रेलवे अधिनियम, 1989 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 124-क को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“124क. किसी अनपेक्षित घटना के कारण नुकसानी का भुगतान? रेलवे क्रियाकलाप के दौरान जब कोई अनपेक्षित घटना घटित होती है, तब यदि रेलवे प्रशासन द्वारा उसके पहले या उसके बाद कोई दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या चूक हो जाने की दशा में किसी यात्री या उसके किसी आश्रित को यदि कोई चोट पहुंचे या मृत्यु हो जाए तो ऐसी दशा में किसी कार्यवाही के किए जाने तथा नुकसानी की क्षतिपूर्ति के बारे में किसी भी विधि में कोई प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस अनपेक्षित घटना के परिणामस्वरूप, उस परिणाम तक जैसा कि किसी यात्री की केवल ऐसी मृत्यु हो जाने से या चोट पहुंच जाने के कारण जब ऐसे नुकसानी का भुगतान किया जाना अपेक्षित है, रेलवे प्रशासन उसका भुगतान करेगा।

परंतु प्रतिबन्ध यह इस धारा के अन्तर्गत जब कोई यात्री की मृत्यु हो जाती है या उसे चोट पहुंच जाती है तो रेलवे प्रशासन निम्न दशाओं में कोई क्षतिपूर्ति नहीं करेगा-

(क) जब उसने स्वतः आत्महत्या की हो या आत्महत्या करने का प्रयास किया हो;

(ख) जब उसने स्वतः अपने को चोट पहुंचायी हो;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ग) जब उसने स्वयं कोई दायित्व कार्य किया हो;

(घ) जब उसने पागलपन या नशे की हालत में कोई गलत कार्य किया हो;

(ङ) जब उसे कोई प्राकृतिक हेतुक रोग अथवा भेषजिक या शल्य क्रिया की, जब तक कि उसका उपचार किसी अनपेक्षित घटना के कारण आवश्यक न समझा जाए।

स्पष्टीकरण. "यात्री" शब्द के अन्तर्गत इस धारा के प्रयोजन के लिये निम्न व्यक्ति समझे जायेंगे

(i) अपना पदीय कार्य करते समय रेलवे कर्मचारीगण :

(ii) वे व्यक्ति जिन्होंने किसी तिथि पर वैध प्लेटफार्म टिकट या यात्रा कराने के लिए वैध टिकट खरीदा हो, और वह ऐसी अपेक्षित घटना का ग्रसित व्यक्ति हो।”

18. अधिनियम का उपर्युक्त परंतुक स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि रेलवे प्रशासन द्वारा इस धारा के अंतर्गत कोई प्रतिकर देय नहीं होगा, यदि यात्री की मृत्यु या क्षति आत्महत्या, स्वयं द्वारा पहुंचाई गई चोट, उसके स्वयं के आपराधिक कृत्य के कारण, या नशे एवं पागलपन की स्थिति में, अथवा किसी बीमारी के कारण हुई हो, तथापि, अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि यह आत्महत्या या स्वयं द्वारा पहुंचाई गई चोट का मामला है, अथवा किसी आपराधिक कृत्य के कारण, या मृतक नशे की हालत में अथवा किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हुई थी।

19. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह धारित किया जाता है कि मृतक एक सद्भावी यात्री था और उसकी मृत्यु एक दुर्घटना के कारण हुई थी, जिसे अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत परिभाषित 'अनपेक्षित घटना' कहा जा सकता है और इसलिए, यह अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124-क के परंतुक के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे यह अवलोकित किया जाता है कि रेलवे अधिनियम की धारा 124-क कठोर दायित्व के सिद्धांत को समाहित करती है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं 140 और 145 तथा सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1990 के समान है। हालांकि, धारा 124-क के अंतर्गत कठोर दायित्व के सिद्धांत को लागू करते समय, विधायिका द्वारा अधिनियमित प्रावधानों के परे इसे अनिवार्य रूप से वैधानिक ढांचे की सीमाओं के भीतर ही संचालित होना चाहिए।

20. न्यायाधिकरण ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय यह धारित किया कि मृतक एक सम्भावनी यात्री था और उसकी मृत्यु एक अनपेक्षित घटना के कारण हुई थी, तदनुसार प्रतिकर रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अधिनिर्णित किया गया है।

21. यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं पाता है, वर्तमान अपील गुण-दोष रहित है, तदनुसार **खारिज** की जाती है।

22. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल निचली न्यायालय का अभिलेख, इस आदेश की प्रमाणित प्रति सहित, संबंधित न्यायालय को वापस प्रेषित करे।

मार्च 18, 2026

अनुपम एस/-

(न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।